

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 05 अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व ₹ 5000 के अर्थदंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एससी /एसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 12-03-2026 को मु0अ0सं0 1883/2009 धारा 147, 352, 504, 506, 325 भादवी थाना मधुवन जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. विजय प्रताप उर्फ विनय पुत्र मोहन गोड 2.सूर्य प्रताप पुत्र मोहन गोड 3.मनोज पुत्र मोहनगोड 4.भानु प्रताप पुत्र मोहनगोड 5.कृष्ण कुमार पुत्र वासुदेव समस्त निवासीगण बढनपुर थाना मधुवन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन यादव का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व ₹ 6250 के अर्थदंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एससी /एसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 12-03-2026 को मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 829/2009 धारा 147, 323, 336, 433, 148 भादवी व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना मधुवन जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. राय बहादुर पुत्र सूर्यनाथ यादव 2. दिलीप पुत्र रायबहादुर यादव 3. रामनिवास पुत्र इंद्रदेव 4.स्तब्ध यादव पुत्र बिशुनी निवासीगण सेमरी जलालपुर घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 6250 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन यादव का सराहनीय योगदान रहा।